संख्या-6/2015/56/52-2-15-2(270)/13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सम्भल, कानपुर देहात, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं श्रावस्ती।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 जनवरी 2015

विषय-__अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी हेतु डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रक्षित वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त/द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कराये जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र संख्या-611/अ0स0क0/कब्रि/अन्त्येष्टि/2014-15 दिनांक 10.12.2014 एवं सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0 के पत्र संख्या-532/व0आ0-31(88) /2014-।।। दिनांक 31-12-2014 जिलाधिकारी कानपुर देहात के पत्र संख्या-450/अ0सं0क0/ उप0प्र0 कबि0/ 2014-15, दिनांक 15-12-2014 एवं सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0 के पत्र संख्या-523/व0आ0-31(88)/2014--।।। दिनांक 24-12-2014, सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0 के पत्र संख्या-523/व0आ0-31(88)/2014 दिनांक 26-12-2014, सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0 के पत्र संख्या-826/व0आ0-31(88) /2014-।।। दिनांक 31.12.2014, जिलाधिकारी सीतापुर के पत्र संख्या-1092/जि0अ0सं0क0अ0 /कब्रि0बाउ0/2013-14 दिनांक 05-01-2015 एवं सर्वे कमिश्नर वक्फ उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-536/व0आ0-31(88)/2014-।।। दिनांक 05-01-2015 क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक कब्रिस्तान/अन्त्येष्टि स्थलों की चहारदीवारी हेतु निम्नलिखित जनपदों के वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त (50 प्रतिशत) एवं अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1612.599 लाख (रू0 सोलह करोड़ बारह लाख उनसठ हजार नौ सौ मात्र) जो डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में रखी है, को निम्नलिखित विवरण के अनुसार, पी0एल0ए0 से अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति/सहमति, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि-"संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी पी0एल0ए0 में रखी धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने के पूर्व वित्तीय वर्ष 2012-13 की द्वितीय किश्त की धनराशि से कराये गये कार्यो एवं वित्तीय वर्ष 2013-14 की प्रथम किश्त से कराये गये कार्यो की गुणवत्ता की नियमित जांच अपने स्तर पर स्वतन्त्र रूप से परीक्षण कराते हुए सुनिश्चित करने एवं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही वर्ष 2013-14 की अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि निम्नवत् अवमुक्त की जायेगी :-

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवेटित धनराशि (लाख रूपये में)	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 में जमा धनराशि	डी0आर0डी0ए0 के पी0एल0ए0 से अवमुक्त कराये जाने हेतु प्रस्तावित	किश्त (प्रथम/द्वितीय)

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6
1	सम्भल	668.933	334.466	334.466	।।
2	कानपुर देहात	140.986	70.493	70.493	।।
3	मुजफ्फरनगर	842.916	421.458	421.458	।।
4	लखीमपुर खीरी	674933	337.46	337.46	।।
5	सीतापुर	671.933	335.933	335.933	।।
6	श्रावस्ती	281.972	112.789	112.789	।।
	कुल योग			1612.599	

कुल योग (रू0 सोलह करोड़ बारह लाख उनसठ हजार नौ सौ मात्र)

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-90/दस-2015, दिनांक 21-01-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-56(1)/52-2-15तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

।- सर्वे आयुक्त वक्फ, उ0प्र0, लखनऊ।
2- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल गिम, लखनऊ।
5- मुख्य विकास अधिकारी, सम्भल, कानपुर देहात, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं श्रावस्ती।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, सम्भल, कानपुर देहात, मुजफ्फरनगर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं श्रावस्ती।
7- वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in